न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प कोर्ट भोपाल

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा/2018/1154

1 रामदत्त आ0 विश्वनाथ

निवासी ग्राम बागलखेडी तह0बाबई जिला होशगाबाद

2 लक्ष्मी बाई आ0 विश्वनाथ पत्नि मोतीसिंह

निवासी कुसुमखेडी

तह0 बुधनी जिला सीहोर——————————————याचिकाकर्तागण

बनाम

1 सौभाग्य सिंह आ0 रतन सिंह

निवासी ग्राम गोंदागांव खुर्द

तहसील टिमरनी जिला हरदा

2 भारत सिंह आ0 ताराचंद

3 आंनद सिंह आ0 ताराचंद

4 जगदीश सिंह आ0 ताराचंद

5 रामविलास आ0 रतन सिंह

6 श्री राम आ0 करतार सिंह

7 भगवान सिंह आ0 करतार सिंह

8 राधिका पुत्री करतार सिंह

9 रमा पुत्री करतार सिंह

10 शारदा बाई वेवा करतार सिंह

सभी निवासी हाल मुकाम ग्राम गोंदागांव खुर्द

तहसील टिमरनी जिला हरदा

11 शिवदत्त आ0 विश्वनाथ (फौत)

अ– सुमन बाई पत्नि स्व0 श्री शिवदत्त

ब– महेन्द्र सिंह उर्फ स्व0 श्री शिवदत्त

स– राजेन्द्र सिंह आ0 स्व0 श्री शिवदत्त

द– वीरेन्द्र सिंह आ0 स्व0 श्री शिवदत्त

ई– नारायण सिंह आ0 स्व0 श्री शिवदत्त

उ– कु0 त्रिवेणी पुत्री आ0 स्व0 श्री शिवदत्त

सभी निवासीगण ग्राम बागलखेडी तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

ए– श्रीमति राजकुमारी पुत्री स्व0 श्री शिवदत्त

पत्नि विक्रम सिंह निवासी ग्राम निपानिया

तह0 सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

ऐ– श्रीमति मालती बाई पुत्री स्व0 श्री शिवदत्त

पत्नि वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इटावा इटारसी

तह0 नसरूल्लागंज जिला सीहोर

12 ओमदत्त आ0 विश्वनाथ

निवासी ग्राम बागलखेडी तह0 बाबई जिला होशंगाबाद

13 रूकमणी बाई आ0 विश्वनाथ पत्नि राधेश्याम

निवासी ग्राम घोघडा तहसील सिराली जिला हरदा--------उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 170/अपील /वर्ष 2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 11/05/2017 से क्षुब्द एवं व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर प्रस्तुत करता हैः–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

यह कि उत्तरवादी क्रं 01 द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टिमरनी के समक्ष एक आवेदन पत्र सिविल वाद क्रं 263अ/89 में पारित निर्णय दिनांक 19/04/1990 के अनुसार ग्राम सावंलखेडा की भूमि ख न 08 रकवा 0.55 एकड ख न 17/1 रकवा 15.98 एकड, ख न 19 रकवा 15.60 एकड ख न 22/2 रकवा 7.14 एकड योग रकवा 39.27 एकड पर सह खातेदार गीताबाई आ0 रघुनाथ सिंह अर्थात याचिकाकर्ता क्रमांक 01

3 P

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2018/1154 जिला हरदा

रामचन्द्र / सौभाग्य सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-9-18	आवेदक अभि. श्री सन्दीप दुबे उपस्थित / अना. 1 श्री सौभाग्य सिंह उप. / अना. 4 सूचना उपरान्त अनु. / शेष अना. को पुन: सूचना दी जावे / रिकार्ड पूर्ण / c.f. 5-10-18 भोपाल — आदेश (हस्ताक्षर)	MF 5/10/ 5 सौभाग्य सिंह
5/X/18	(1) - आवेदक अभि. श्री सन्दीप एवं अनावेदक क्रमांक (1) सौभाग्यसिंह स्वयं उपस्थित। (2) -- शेष अनावेदक अनुपस्थित। (3) - आवेदक अभि. एवं श्री सन्दीप दुबे एवं अनावेदक क्र (1) सौभाग्यसिंह को सुना गया। (4) - अपर आयुक्त नर्मदापुरम का आदेश दिनांक 11/5/2017 अवलोकित किया गया, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिवनी का आदेश दि. 05.02.16 एवं	

[कृ. प. उ.

PBR / निगरानी / हरदोई / मु.रां. / 2018 / 1154 (4)

रामदत्त Vs. सौभाग्यसिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पूर्व पृष्ठ से एवं तहसीलदार टिम्बरनी का आदेश दिनांक 02/08/2013 निरस्त किया गया है, लेकिन अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है एवं न ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को कोई निर्देश दिये गये है। (5) उपस्थित पक्षकारों की सहमति से अधीनस्थ नायब तहसीलदार टिम्बरनी को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदन सौभाग्यसिंह के द्वारा उनके न्यायालय में प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन दि. 29/2/2012 पर सभी सम्बन्धित पक्षकार (जो अपर आयुक्त के न्यायालय में थे) को नोटिस देकर एवं सुनकर व साक्ष्य लेकर 03 माह की अवधि में आवेदन दि 29/2/2012 पर का निराकरण करें। (6) उभयपक्ष दिनांक 5/11/2018 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों। (7) दि. 5/11/2018 से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख लौटाया जावे।	सौभाग्यसिंह

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.

[signature] 5/10/18